



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर-15)

क्रमांक : एफ 12()सी.ई./2019/269

दिनांक : 22.10.2019


जन संपर्क अधिकारी
नगर निगम जयपुर।

विषय:—दैनिक समाचार पत्रों में नगर निगम संबंधित प्रकाशित न्यूज का तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग:—आपका पत्र क्रमांक जसअ/2019/02 दिनांक 21.10.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न समाचार पत्र, डेली न्यूज, जयपुर अंक दिनांक 23.09.2019 की कटिंग में समाचार "शहरी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित" प्रकाशित हुआ है। समाचार में वर्णित स्थान, सांगानेर जोन के वार्ड संख्या 37 व 50 के गांव क्रमशः लुनियावास, खोरी व टीलावाला, सुखपुरिया हैं जिनमें मूलभूत सुविधाओं यथा सडक व सीवर लाईन का अभाव बताया गया है।

इस संबंध में लेख है कि नगर निगम द्वारा विकास कार्य जन प्रतिनिधि यथा वार्ड पार्षद, महापौर, विधायक की अनुशंसा व बजट उपलब्धता अनुसार तकमीने बनाये जाकर स्वीकृति उपरान्त कार्य कराये जाते है। उक्त वर्णित क्षेत्रों हेतु क्षेत्रिय पार्षद द्वारा कोई अभिशंसा नही की गई है।


(ऐ.के.सिंघल)
मुख्य अभियंता
नगर निगम जयपुर।

प्रतिलिपि:—

1. आयुक्त, नगर निगम जयपुर।

मुख्य अभियंता
नगर निगम जयपुर।